in view of the cuts imposed recently.....

Mr. Speaker: She is asking about the city of Calcutta.

Shrimati Renu Chakravartty: It is the only city in the whole of India which has not got compulsory education. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: She cannot ask about individual towns and cities. What is the question? She may put the question.

Shrimati Renu Chakravartty: I want to know whether the cuts that are being imposed in all the States on education budgets will hold it up further—I mean the spread of primary education.

Shrimati Soundaram Ramachandran: No, because Bengal is one of the States which had passed Compulsory Primary Education Act. They are keeping up the targets.

Shrimati Renu Chakravartty: She is completely misinformed... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: The two ladies may change their places.

Shri Bade: Has the Government received reports from the States that in view of the Emergency there is a cut in the expenses and therefore, there is not sufficient space or sufficient number of buildings and so they could not implement the scheme of compulsory education?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): The hon. Member is aware that no provision was made for buildings because the community was expected to contribute for the building of the primary school. That position still continue. I have made it clear that the general policy we have adopted in this matter both in the National Development Council and in the Ministry of Education is that there should be no staggering of expansion of primary education. It is our desire that it should expand as quickly as possible. Of course there may be one or two States where special problems may exist and I hope hon. Members would exercise their influence so that the anticipated target is achieved.

परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी

*३८. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तृतीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों को कहीं पर भी उचित स्थान नहीं मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तृतीय श्रेणी में पास करने की विधि को समाप्त कर देने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क), (ख) और (ग). यह सही है कि बहुत से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी में पास होते हैं और उन्हें उपयुक्त रोजगार मिलने में बड़ी कठिनाई होती है परन्तु तृतीय श्रेणी समाप्त करने के बारे में निर्णय सरकार नहीं, बल्कि बोर्ड आफ एजुकेशन और विश्वविद्यालय जैसी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं ही कर सकती हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन विद्यार्थियों को न तो नौकरियों में और न उच्च-विद्यालयों में,कहीं भी नहीं, प्रवेश मिलता है, तो क्या सरकार उनके भाग्य के विषय में कुछ सोच रही है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : बराबर सोच रही है । हम भी सोचते हैं और माननीय सदस्य भी सोचते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के बारे में क्या सोचा जा रहा है ?

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में पास होते हैं, उन को उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी स्थान नहीं मिलता है और इस सम्बन्ध में भी सब जगह एक सी नीति नहीं है ? यह देखा गया है कि एक ही विश्वविद्यालय में कुछ तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों को स्थान मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है। क्या इस सम्बन्ध में कोई एक सी नीति निर्धारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को मालूम है कि यह प्रश्न विश्वविद्यालयों में तय किया जाता है और विश्वविद्यालय इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। उन को यह स्वतंत्रता राज्यों और भारत सरकार से मिली हुई है। तो, इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग समस्यायें हैं और उन्हीं की वजह से बहुत कुछ यह फर्क रहता है। उदाहरण, के लिये उड़ीसा जैसी स्टेट में ग्रैजुएट्स बहुत कम मिलते हैं, इस लिये वहां पर तृतीय श्रेणी का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ स्टेट्स में ग्रेजुएट काफ़ी तादाद में मिलते है। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी समस्यायें हैं। विश्वविद्यालयों को ही इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा।

Shri Harish Chandra Mathur: The hon. Minister has stated that it is the Boards and the universities that will determine this. But may I know whether in such important, broad policy matters, the Government do not apply their own mind, and whether the Government have examined this question at their own level and come to any conclusion?

Dr. K. L. Shrimali: This question was examined and also put to the Vice-Cancellors' Conference on the 11th and 13th October, 1962, and the view that was expressed by the Vice-Chancellors' Conference is that there is no need for changing the present system of awarding marks at various examinations or the classification of successful candidates at the Master's Degree examinations into three divisions.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी एम० ए० में थर्ड डिवीजन में पास हो जाते हैं, क्या उन को बाद में सैकंड डिवीजन में पास होने के लिये कोई मौका दिया जाता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली जो विद्यार्थी थर्ड डिवीजन में पास हो जाते हैं, उनका क्या किया जाए ? अगर वे ज्यादा परिश्रम करते, तो वे ऊंचे श्रेणी में आ सकते थे।

Mr. Speaker: Whether they can appear for a second time.

Dr. K. L. Shrimali: As I said, this is not a matter which the Government has to decide. This has to be decided by individual universities.

Anti-Corruption Advisory Committee

+

*39. **Shri Harish Chandra Mathur:**
Dr. L. M. Singhvi:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Marandi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state what advice has been tendered by the Anti-Corruption Advisory Committee and the action taken thereof by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): The Committee on Prevention of Corruption considered the proposal to amend Article 311 of the Constitution to dispense with the second opportunity and to remove the penalty of reduction from the scope of Article 311. It recommended that the proposed amendments may be made and that